

## कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, गोण्डा।

अधिनियम की धारा 4(1)/(ख) के अन्तर्गत बनाये गये मैनुअल की सूचना

4 (1) (ख)		
(i)	संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य	जिला निर्वाचन कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, उत्तर प्रदेश, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के अधीक्षण, नियंत्रण एवं निर्देशन में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन, लोक सभा और विधान सभा एवं विधान परिषदों के निर्वाचन से संबंधित कार्य सम्पादित करता है।
(ii)	अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य	निर्वाचन सम्बन्धी सभी शक्तियां मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश एवं भारत निर्वाचन आयोग के अन्तर्गत निहित है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपे जाने वाले कार्यों का अनुश्रवण आयोग द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अन्तर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जाता है।
(iii)	निर्णय लेने में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया जिसके अन्तर्गत पर्यवेक्षण एवं जवाबदेही के स्रोत भी सम्मिलित है	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रख्यापित अधिनियमों/नियमों तथा अनुदेशों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। आयोग की संस्तुति से मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त होता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिलों से अनुश्रवण करते हुए रिपोर्ट प्राप्त करते हैं तथा आयोग को यथावश्यक रिपोर्ट भेजते हैं।
(iv)	कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा स्थापित मापमान	भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अधीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिलो के जिला निर्वाचन अधिकारियों को कार्य आवंटित किया जाता है। जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों को कार्य आवंटित करते हुये समयबद्ध रूप से निस्तारित कराते हैं।
(v)	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख	निर्वाचन सम्बन्धी कार्यों के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बनाये गये नियम, अनुदेश एवं निर्देशिका का अनुपालन किया जाता है। जिला निर्वाचन कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्रतिपादित नियम विनियम अनुदेश आदि लागू होते हैं।
(vi)	ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गों का विवरण	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन विधि निर्देशिका आदि जिनका विवरण भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट <a href="http://www.eci.gov.in">www.eci.gov.in</a> एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट <a href="http://ceouttarpradesh.nic.in">ceouttarpradesh.nic.in</a> पर उपलब्ध है।
(vii)	किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीति की संरचना या नीति उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान है	भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अन्तर्गत निर्वाचन सम्बन्धी कार्यों में जन साधारण का सहयोग/परामर्श लिये जाने का प्राविधान है। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत तैयार की जाने वाली निर्वाचक नामावलियों तथा मतदाता फोटो पहचान पत्र तथा निर्वाचनों के कार्य में पूर्ण पारदर्शिता है और इसमें जनता का सहयोग लिया जाता है।
(viii)	ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के जिनमें दो या अधिक व्यक्ति है, जिनका उसके भाग रूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिये गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिये खुली होगी या ऐसी	शून्य

बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी, विवरण

(ix) अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका निम्नवत है:-  
तालिका- II

क्रम सं०	पदनाम	स्वी कृत	भरी हुई	रिक्तियाँ	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि	सरकारी सेवा में नियुक्ति की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी	1	0	1	—	—	—
2	वरिष्ठ सहायक	4	3	1	श्री माधवराज	15.9.1962	11.12.1997
					श्री रमेश कुमार यादव	25.1.1964	12.12.1997
					श्री राकेश कुमार सिंह	20.2.1965	11.12.1997
3	कनिष्ठ सहायक	6	2	4	श्री इम्तियाज अहमद	1.3.1975	15.12.1997
					श्री करम हुसैन	1.8.1969	23.12.1997
4	चौकीदार	1	1	0	श्री आलोक कुमार शुक्ला	1.4.1978	16.5.2006
5	चपरासी	1	0	1	—	—	—

(x) प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों के यथा उपबन्धित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित हो-

क्रमांक	नाम	पदनाम	सकल वेतन
1	2	3	4
1	श्री माधवराज	वरिष्ठ सहायक	45,464.00
2	श्री रमेश कुमार यादव	वरिष्ठ सहायक	47,084.00
3	श्री राकेश कुमार सिंह	वरिष्ठ सहायक	46,684.00
4	श्री इम्तियाज अहमद	कनिष्ठ सहायक	40,704.00
5	श्री करम हुसैन	कनिष्ठ सहायक	40,904.00
6	श्री आलोक कुमार शुक्ला	चौकीदार	25,532.00

(xi) सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्ट की विशिष्टियाँ उपदर्शित करते हुये प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट

निर्वाचक नामावली की तैयारी तथा छपाई, मतदाता फोटो पहचान पत्र और समय-समय पर सम्पादित होने वाले निर्वाचनों के लिये भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रथमतः राज्य सरकार धनराशि उपलब्ध कराती है। यह धन आयोजनेत्तर पक्ष से प्राप्त होता है। तत्पश्चात् इसका अंशदान के प्रतिशत की प्रतिपूर्ति भारत सरकार से की जाती है।

(xii) सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के व्यौरे सम्मिलित हैं

इस विभाग द्वारा किसी सामाजिक कार्यकलाप का कार्यान्वयन नहीं किया जाता है।


(xiii) अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियाँ

शून्य

(xiv) किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के

भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट [www.eci.gov.in](http://www.eci.gov.in) एवं मुख्य निर्वाचन

	संबंध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हों-	अधिकारी की वेबसाइट ceouttarpradesh.nic.in पर उपलब्ध है।					
(xv)	सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित है।	जिला निर्वाचन कार्यालय, कलेक्ट्रेट कैम्पस (समय 10.00 बजे से 05.00 बजे तक)					
(xvi)	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां	लोक सूचना अधिकारी के नाम, पदनाम व अन्य विशिष्टियां निम्नवत है (तालिका-111)। जिला निर्वाचन कार्यालय से सूचना प्राप्त करने हेतु जन सूचना अधिकारी, कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, गोण्डा को संदेय समुचित प्राप्ति के बदले नगद स्वरूप द्वारा या डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक द्वारा या भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा आवेदन शुल्क संलग्न कर वांछित सूचना प्राप्त करने हेतु पत्राचार/सम्पर्क किया जा सकता है।					
क्र०सं०	विभाग/कार्यालय का नाम	प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम/पदनाम व पता	दूरभाष कार्यालय	जन सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम व पता	दूरभाष कार्यालय	सहायक जन सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम व पता	दूरभाष कार्यालय
1.	कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, गोण्डा	श्री जे० बी० सिंह, जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, कलेक्ट्रेट गोण्डा	05262-232600	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, कलेक्ट्रेट कैम्पस गोण्डा	05262-231552	श्री माधवराज वरिष्ठ सहायक, जिला निर्वाचन कार्यालय गोण्डा	05262-231552
(xvii)	ऐसी अन्य सूचनाएं जो विहित की जायें	भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा ऐसी अन्य सूचनाओं के विहित किये जाने के उपरान्त उसे यथासमय अपडेट किया जायेगा।					
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कार्यालय का पता उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग, 7/7ए, आर०टी०आई भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ							

  
 सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,  
 गोण्डा।